तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9-12-24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा पारसोली की खाता स. 137 के आ.स. 1263, 128 मी. 1265, 1266 कुल बिता 4 कुल रकबा 0.9100 है भूमि प्रार्थीया के कब्जे काश्त की है। जिस पर विपक्षीगण जबरन ताकत के बल के पर छीन कर कब्जा करने की नियत से आये दिन मौके पर गाली गलोच करते हुए लडाई झगडा कर मरने मारने की धमकियां देते है। इस लिए विपक्षीगण को जरिये नस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रार्थीया की कृषि आराजियात मे किसी प्रकार से प्रवेश कर दखलंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही अपने नौकर एजेंट, रिश्तेदार आदि से करे न करावें। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी जबानी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीया नन्दूदेवी विपक्षी की आराजीयात की पडोसी है जो आये दिन आराजी कि सीमाओं को लेकर विवाद करती रहती है। विपक्षी स. 3 ने प्रार्थीया को तहसील मे चलकर आराजीयात का सीमांकन कराने को कहा तो प्रार्थीया ने मना कर दिया जिस पर विपक्षी स. 3 ने गतवर्ष पत्थर गडी करवाई थी जिसमे विपक्षी स. 3 की कुछ सीमा प्रार्थी की कब्जे की सीमा मे आई जिस पर विपक्षी ने अपने हिस्से की आराजीयात प्रार्थीया को कहा तो प्रार्थीया के बेटे दिनेश ने पत्थरगडी के सीमा चिन्हों को हटा कर फेंक दिये जिस पर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के पुत्र दिनेश के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही कि गई. जिसकी नकल पेश है। विपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही कि गई है. प्रार्थीया व उसका पुत्र विपक्षीगण की आराजीयात पर कब्जा कर उन्हे बेदखल करना चाह रहा है। इसलिए झुठे तथ्यों पर आधारित मुकदमे कर रहे है। पत्थरगडी से स्पष्ट है कि प्रार्थीया व उसका पुत्र विपक्षीगण की आराजीयात पर नाजायज करना चाहता है, यदि विपक्षीगण को पाबन्द किया तो प्रार्थीया विपक्षीगण को बेदखल कर कब्जा कर लेगी; अत: प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया

नम्बर व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

जावे। उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रार्थना. दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया गया. प्रकरण मे प्रस्तुत पत्थरगढी रिपोर्ट व सिविल न्यायालय की छाया प्रति पेश कि गई जिससे मौके पर दोनो पक्षों के मध्य विवाद होने कि पूर्ण सम्भावना है, मूलवाद के निस्तारण मे समय लगेगा. इस लिए दोनो पक्षो को पाबन्द किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः प्रार्थीया व विपक्षीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि दोनो पक्ष मौको व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। और किसी प्रकार कि दखल अंन्दाजी न तो स्वय करें न ही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

M/